भारतीय मानक ब्यूरो

(स्थापना विभाग)

मानक भवन 9, बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली- 110002

हमारा संदर्भ: स्था-II/56:SCC-PRO-1/2019

दिनांक: 02 सितम्बर 2019

कार्यालय ज्ञापन

निम्नलिखित परिचरों को वेतन मेट्रिक्स में लेवल-1 [पीबी-2/ग्रेड पे रु.1900] में वरिष्ठ परिचर पद में पदोन्नित हेत् चयनित किया गया है :

The following Attendants have been selected for promotion to the post of Senior Attendant in the Level-2 in the Pay Matrix [PB-1/Grade Pay Rs. 1900]:

क्रमसंख्या	कर्मचारी संख्या	नाम तथा पद	वर्तमान तैनाती का स्थान
Sl No.	Emp No.	Name & Designation	Present place of posting
1.	030279	श्री बलबीर सिंह	मुख्यालय-डीडीजी(प्रमाण) सचिवालय
		Shri Balbir Singh	HQ-DDG (Certification) Sectt.
2.	030376	श्री सत्या कुमार	मुखालय- सीएमडी-आईआई
		Shri Satya Kumar	HQ- CMD-II

2. उनकी पदोन्नित उनके वर्तमान तैनाती के स्थान पर विरष्ठ परिचर पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावित होगी। अतः वे पदोन्नित पर अपनी पदभार ग्रहण रिपोर्ट तुरंत अपने विभागीय प्रमुख के माध्यम से अध्योहस्ताक्षरी को ईमेल est@bis.gov.in दवारा भैजें।

Their promotion will take effect from the date they assume the duties of the post of Senior Attendant at their present place of posting. Therefore, they should send their duty assumption report on promotion immediately to the undersigned by email at estt@bis.gov.in, through their Departmental Head.

3. चूंकि वे MACPS के अंतर्गत IIIrd वित्तीय उन्नयन में लेवल-4 के अनुदान के अंतर्गत वेतन निर्धारण का लाभ प्रपट कर चुके हैं, इसलिए वे नियमानुसार, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के पात्र नहीं हैं।

Since they have got the benefit of pay fixation under grant of IIIrd Financial Up-gradation under MACP Scheme in the Level-4 [PB-1/Grade Pay of Rs. 2400], therefore, they are not entitled for pay fixation consequent upon promotion, as per rules.

- उन्हें भारत में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है।
 They will be required to serve anywhere in India.
- 5. सेवा की अन्य नियम व शर्तों के संबंध में वे समय-समय पर लागू ब्यूरो के नियमों व विनिमयों द्वारा शासित होंगे।

As regards other terms and conditions of service they will be governed by the Rules and Regulations of the Bureau in force from time to time.

(लेफ्टिनेंट कर्नल कुमार शांतनु) निदेशक [स्थापना]

प्रतिलिपि:

(i) पैरा 1 में दिये गए कर्मचारियों को उनके विभागीय प्रमुख द्वारा

(ii) उपमहानिदेशक (सतर्कता सचिवालय)

(iii) निदेशक (लेखा)

(iv) निदेशक (वित्त)

(v) समानधित कर्मचारी की व्यक्तिक फ़ाइल

(vi) संबन्धित कर्मचारी की छुट्टी फ़ाइल

(vii) स्था-V (कम्प्यूटर अद्यतन तथा GIS हेत्)

(viii) मुख्यालय-आईटीएस (BIS इंट्रानेट पर परिचालन हेत्)

निदेशक(स्थापना)